

FORM NO III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अराई

मुकाम अराई (अजमेर)

• श्रीमती मधु राठौड पत्नि निरंजनसिंह राठौड जाति राजपूत निवासी ग्राम भोगादीत तहसील अराई जिला अजमेर राज0

-प्रार्थी

बनाम

कन्हैयालाल पुत्र रामविलास जाति ब्राहमण निवासी भोगादीत तहसील अराई जिला अजमेर व अन्य।
-अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा- धारा 111 व 128 भू0राजस्व अधिनियम 1956

नंबर 8/2026

ऑनलाइन नंबर 2026/9.....

वकील प्राथी:- योगेश शर्मा

वकील अप्राथीगण.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
3/2/26	यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील प्रार्थी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू0राजस्व अधि. 1956 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये सम्मन/रजि. डाक की जाकर पत्रावली दिनांक 25/2/26 को पेश हो। UP उपखण्ड अधिकारी अराई	
25/2/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी को सुनाया गया। P.O. तहसील अराई, जिला अजमेर, की/अधिकारी पर पत्रावली पेश की जायगी। दिनांक 11/3/26 को पेश हो।	तामिली रिपोर्ट 5/2/26
11/3/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी को सुनाया गया। पत्रावली दिनांक 18/3/2026 को पेश हो। UP उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)	राजस्थान नरेश अनुप पत्थरगढ़ में कोई आपत्ति नहीं है। UP
08/3/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी को सुनाया गया। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है। वकील प्रार्थी का वाद स्वीकार किया जा रहा है। निर्णय प्रत्यक्ष से तैयार कर शांति पत्रावली किया गया। पत्रावली दिनांक 20/3/26 को पेश हो। UP उपखण्ड अधिकारी अजमेर	UP पत्रावली